दिनांक हुक्म	कार्यवाही
23/1/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर स्वीकार किये जाने एवं कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहने की प्रार्थना की। रस्ते बाड़ को स्वीकार किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाड़तमील तकमील कायदे मुताबिक होवे। उपखण्ड अधिकारी झालावाड़